न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 147/2024 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 13.11.2024
G.C.M.S. NO. :- 2024/147

श्रीमती झमकूबाई पत्नि लच्छीराम जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी मलुकदास की खेड़ी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार डूंगला प्रकरण संख्या 11/2024 निर्णय दिनांक 20.09.2024

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 10.11.2025

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का आलोद तहसील डूंगला की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का मौजा मलुकदास की खेडी की आराजी नम्बर 386 रकबा 1.07 हैक्टेयर में से रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि पर ज्वार की फसल काश्त कर नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 20.09.2024 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 147/2024 (रा. अ.)
श्रीमती झमकूबाई पत्नि लच्छीराम जाट निवासी मलुकदास की खेडी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, डूंगला से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील डूंगला के पटवार हल्का आलोद की रिपोर्ट के आधार पर मौजा मलुकदास की खेडी के आराजी संख्या 386 रकबा 1.07 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि पर अपीलांट द्वारा ज्वार की फसल बोकर अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि–विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.08.2024 को प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु दिनांक 29.08.2024 को अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया आदेश की पालना में अपीलांट उपस्थित हुई, हस्ताक्षर कराये तथा आगामी दिनांक 02.09.2024 नियत की गई। जिस पर अपीलांट द्वारा जवाब एवं सुनवाई हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 11.09.2024 नियत की गई। दिनांक 11.09.2024 को पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने से दिनांक 12.09.2024 को अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई। जवाब प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी दिनांक 18.09.2024 नियत की गई दिनांक 18.09.2024 को अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा। जिस पर दिनांक 20.09.2024 नियत की गई। नियत दिनांक 20.09.2024 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने व लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि से लगी होकर अपीलांट का काफी पुराना एवं नियमन योग्य कब्जा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर विवादित आराजीयात से बेदखली का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.09.2024 निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 147/2024 (रा. अ.)
श्रीमती झमकूबाई पत्नि लच्छीराम जाट निवासी मलुकदास की खेडी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर ज्वार की फसल बो रखी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार पटवार हल्का आलोद की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु दिनांक 29.08.2024 नियत कर अपीलांट की उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलांट दिनांक 29.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई। उसके पश्चात् प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 02.09.2024, 11.09.2024, 12.09.2024, 18.09.2024 एवं पेशी दिनांक 20.09.2024 नियत की गई तथा पेशी दिनांक 20.09.2024 के अतिरिक्त हर तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित हुई जिसके साक्ष्य स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की हर तारीख पेशी की आदेशिकाओं पर अपीलांट की अंगूठा निशानी अंकित है तथा अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह झाला द्वारा दिनांक 29.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अधिकार पत्र पेश किया हुआ है तथा दिनांक 12.09.2024 को अपीलांट की ओर से जवाब भी प्रस्तुत किया हुआ है। अतः अपीलांट का कथन की अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर विवादित आदेश पारित कर दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलांट ने विवादित आराजीयात पर उसका पुराना कब्जा होने का कथन किया है लिहाजा इस विवादित आराजीयात पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अपीलांट ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलांट का कब्जा पुराना होने तथा नियमन योग्य होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 147/2024 (रा. अ.)
श्रीमती झमकूबाई पत्नि लच्छीराम जाट निवासी मलुकदास की खेडी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला

पटवार हल्का आलोद की रिपोर्ट अनुसार मौजा मलुकदासखेडी की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 386 कुल रकबा 1.0749 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि है जिस में से रकबा 0.50 हैक्टैयर पर अपीलांट ने ज्वार की फसल काश्त कर नाजायाज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि–सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का आलोद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का मौजा मलुकदासखेड़ी की आराजी नम्बर 386 रकबा 1.0749 हैक्टेयर में से रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने तथा जुर्माना लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(प्रभा गौतम)